न्यायालयः– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन

बउनवान–अब्दुल कयूम बनाम मोहम्मद सलीम व अन्य
किस्म–दीवानी मूल नंबर–120/12 सी.आई.एस. नंबर–111/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18-09-25	वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण सुनवाई हेतु आज नियत है। प्रतिवादी संख्या 03 की पुत्री तमन्ना अत्यधिक बीमार होने के कारण वह उक्त प्रकरण में स्टाम्पित की कार्यवाही हेतु चाराजोही नही कर सका और स्टाम्पित की कार्यवाही आगे नही बढा सका। प्रार्थना पत्र के साथ पुत्री तमन्ना के ईलाज के कागजात संलग्न है अतः प्रतिवादी को न्यायहित में समय दिए जाने बाबत निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में वादी अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। अवलोकन से प्रकट है कि हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2025 को प्रतिवादीगण द्वारा पेश भाई बंटवारा दिनांक 01.08.2011 को रिकॉर्ड पर लेकर प्रदर्शित कराए जाने से संबंधित प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया गया था जिसके संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पीटिशन पेश की गई जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.03.2025 को आदेश पारित किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में न्यायालय की दिनांक 03.04.2025 की आदेशिका अनुसार पारिवारिक बंटवारा दिनांक 01.08.2011 को पूर्ण स्टाम्पित कराए जाने हेतु कलक्टर (मुद्रांक) वृत सीकर को जरिए पत्रांक 111 दिनांक 09.04.2025 को पारिवारिक बंटवारे	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	की प्रति रिकॉर्ड पर रखते हुए असल बंटवारा भिजवाया गया तत्पश्चात न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) वृत सीकर का पत्रांक रीडर/मौका रिपोर्ट/2025–26/2454 दिनांक 22.05.2025 के द्वारा उक्त दस्तावेज के संबंध में मुद्रांक प्रकरण संख्या 206/25 दर्ज कर नोटिस जारी किए जाकर तारीख पेशी नियत करने तथा आदिनांक तक पक्षकारान के उपस्थित नही होने बाबत सूचना दी गई जिस संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2025 को पक्षकारान को संबंधित कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देश दिए जाकर पाबंद किया गया व नोटिस की प्रति दी गई उसके पश्चात न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज को लौटाए जाने के संबंध में संबंधित कार्यालय को पत्र लिखे गए तत्पश्चात उक्त कार्यालय के पत्र कमांक रीडर/2025–26/3553 दिनांक 20.08.2025 के द्वारा दर्जशुदा मुद्रांक प्रकरण संख्या 206/25 में दिनांक 18.08.2025 को निर्णय पारित कर 12,78,456/–रूपए जमा कराने हेतु आदेश दिए गए थे जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण ने दिनांक 03.09.2025 को रिव्यू प्रार्थना पत्र संबंधित कार्यालय में पेश किया तत्पश्चात प्रतिवादीगण अधिवक्ता के निवेदन पर न्यायहित में एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया था परंतु प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक को धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर अवसर चाहा चूंकि न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) वृत सीकर द्वारा दिनांक 18.08.2025 को निर्णय पारित कर उक्त राशि 12,78,456/–रूपए जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था जिसमें एक माह का समय व्यतीत होने के बावजूद प्रतिवादीगण ने उक्त राशि जमा नही करवाई और प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी संख्या 03 की पुत्री बीमार होने का कथन किया परंतु यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 03 के अलावा अन्य प्रतिवादीगण ने भी उक्त	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	कार्यालय में उपस्थित होकर मांग राशि जमा कराने के प्रयास नही किए तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष कथन किए कि उक्त कार्यालय द्वारा अधिरोपित की गई मांग राशि प्रतिवादीगण जमा कराने में असक्षम है इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) वृत सीकर द्वारा दिनांक 18.08.2025 को मांग की गई राशि 12,78,456/–रूपए प्रतिवादीगण जमा कराने हेतु उक्त कार्यालय में उपस्थित नही होंगे। **चूंकि प्रकरण सन् 2012 से लंबित होकर पुराने प्रकरणो की सूची में नंबर–03 पर दर्ज है जिसके माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से शीघ्र निस्तारण के निर्देश है।** साथ ही न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) वृत सीकर द्वारा दिनांक 22.05.2025 को प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किए हुए करीब 04 माह का समय व्यतीत हो चुका है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण की ओर से उक्त मांग राशि जमा नही कराते हुए बार–बार प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब कारित करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश किए जा रहे है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश होने के पश्चात भी उक्त दस्तावेज इस कारण से स्टाम्पित नही हो रहा है क्योकि प्रतिवादीगण, स्वयं राशि जमा कराना नही चाहते है अतः उपरोक्त विवेचन तथा उपरोक्त तथ्यो व परिस्थितियो को देखते हुए प्रतिवादीगण द्वारा पेश धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। **अधिवक्ता वादी को निर्देश है कि वे साक्ष्य वादी में अपने गवाहान को उपस्थित रखे और प्रतिवादीगण अधिवक्ता को निर्देश है कि वे गवाहान से आवश्यक रूप से उपस्थित होकर प्रतिपरीक्षा पूर्ण करें।** पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 25/9/2025 को पेश हो।	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन